तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज कपिल कोठारी बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बावड़ी) सू.अ.अ. अपील संख्या 132/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कपित कोठारी पता म.नं. 24-ए, त्रिमूर्ति कॉम्पलेक्स मनवाखेड़ा रोड़, हिरण मगरी सेक्टर-4, उदयपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.06.19 में उसके द्वारा (1) आपके कार्यालय में संधारित माह अगस्त 2018 व माह सितम्बर 2018 की उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बावड़ी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बावड़ी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार बावड़ी) से जरिये पत्रांक 603 दिनांक 08.08.19 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक 510 दिनांक 19.07.19 के अनुसार 2/-रूपये की दर से 6/-रूपये सूचना शुल्क जमा कराये जाने की इत्तला देने के बावजूद प्रार्थी ने सूचना शुल्क जमा नहीं करवाया गया फिर भी अपील दायर करने के पश्चात् तहसीलदार बावड़ी ने उपलब्ध रिकॉर्ड की सूचना दिनांक 08.08.19 को प्रमाणित कर भिजवा दी गई है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः प्रार्थी की अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	